पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1961 का विविध न्यायिक मामला सं. 288

इस पर निर्णय लिया गयाः दिनांक– 20.12.1965

याचिकाकर्ता: **धन कर आयुक्त**

बनाम

उत्तरदाताः साहू जैन लिमिटेड

संपत्ति कर अधिनियम–धारा 2 (एम), 27 (1)–संपत्ति कर अधिनियम में "बकाया ऋण" अभिव्यक्ति का अर्थ–संपत्ति कर न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया गया संदर्भ कि क्या तुलनपत्र में प्रदान की गई कर देयता निर्धारिती द्वारा 'बकाया ऋण' के बराबर हैःआयकर का भुगतान करने का दायित्व एक वर्तमान दायित्व है, भले ही इसे निश्चित किए जा सकने वाले आंकड़ों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया हो संदर्भित प्रशन का उत्तर दिया गया। (कंडिका 1, 2)

कलकत्ता (1965) 58 आई. टी. आर. भाग 11, पृ. 37

... ... .पर निर्भर।

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1961 का विविध न्यायिक मामला सं. 288

इस पर निर्णय लिया गयाः दिनांक– 20.12.1965

याचिकाकर्ता: **धन कर आयुक्त**

बनाम

उत्तरदाताः **साहू जैन लिमिटेड**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

आर.एल. नरसिम्हम, मुख्य न्यायाधीश, उदय सिन्हा और एस.एन.पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः एस. एन. दत्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः तारकेश्वर प्रसाद और पूर्णेन्दु नरवन, अधिवक्ता

आदेश

1. धन कर न्यायाधिकरण द्वारा धन कर अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत इस संदर्भ में, हमारी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया गया थाः

> "क्या रुपये 11,48,348 की कर देयता है। निर्धारण वर्ष 1956–57 और 1957 58 के लिए तुलन–पत्र में उपबंधित धन कर अधिनियम की धारा 2 (में) के अर्थ के भीतर निर्धारिती द्वारा देय 'ऋण' के बराबर है।"

2. इस मामले को मुख्य रूप से धन कर अधिनियम में होने वाली "ऋण बकाया" अभिव्यक्ति के सही अर्थ के बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण एक पूर्ण पीठ को भेजा गया था, धन कर आयुक्त(मध्य), कलकत्ता 1965–58, भाग–11, पेज–37 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विराम दिया गया था। लेकिन इस बिंदु को हाल ही में केसोराम इंडस्ट्रीज एवं कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम धन कर आयुक्त(मध्य), कलकत्ता(1965)58 आई.टी.आर. भाग–11, पेज–37(वर्तमान मामलों की संक्षिप्त

टिप्पणियाँ) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के निर्णय से विराम दिया गया था, जहाँ उनके अधिपतियों ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि आयकर का भुगतान करने का दायित्व एक वर्तमान दायित्व है, भले ही इसे सुनिश्चित किए जा सकने वाले आँकड़ो के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया हो। इस निर्णय के बाद हमें इस सवाल का जवाब हाँ में देना चाहिए। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

खण्डन **(**डिस्क्लेमर**):-** स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय**,** पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक**,** कार्यालयी**,** न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ**,** निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।